

न्यायालय : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)-प्रथम, ज्ञानपुर-भदोही

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 249/2026



UPSN01-000776-2026

अतीक अहमद उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र रफीक अहमद निवासी आलमपुर नई बस्ती थाना भदोही
जिला भदोही।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या-517 सन् 2025

धारा- 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट

थाना-भदोही , जनपद -भदोही

दिनांक – 18.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना-भदोही, जनपद भदोही, अपराध संख्या- 517 सन् 2025 अन्तर्गत धारा-3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा दिया जा रहा यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी न किसी गैंग का लीडर है और न ही किसी अभियुक्त को जो गैंग चार्ट में है उसमें किसी को जानता भी नहीं हूँ। अभियुक्त के विरुद्ध जो भी मुकदमें गैंगचार्ट में लगाये गये है, उन सभी में वह जमानत पर है। प्रार्थी के नाम से कोई बैंक बैलेन्स नहीं है और न ही कोई चल अचल सम्पत्ति है। वादी मुकदमा द्वारा गैंगचार्ट की कार्यवाही करते समय गैंगेस्टर एक्ट के तहत दिये गये नियमों का पालन नहीं किया गया है और न ही गैंग चार्ट के सम्बन्ध में कोई ज्वॉइन्ट मिटिंग ही हुई है। कथित गैंगचार्ट फर्जी तरीके से अनुमोदन कराकर झूठी कार्यवाही की गयी है। प्रार्थी के विरुद्ध जो भी मुकदमें लगे है जो उसके आपराधिक इतिहास है उसमे वह सभी मे जमानत पर है। किसी मुकदमे में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। प्रार्थी काफी दिन से जिला जेल ज्ञानपुर में बन्द है। प्रार्थी के और मुकदमें में जमानत हो चुकी है। किन्तु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रार्थी का जमानत भराया जा सका है और पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से गैंगेस्टर की कार्यवाही की है। प्रार्थी निर्दोष है

और कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अपनी जमानत मुचलिका देने को तैयार है प्रार्थी को उचित जमानत मुचलिका पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त अतीक अहमद एक अपराध में संलिप्त है। इसका स्वच्छन्द रूप से विचरण करना समाज एवं लोकहित में हितकर नहीं है।

गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त अतीक अहमद के विरुद्ध इस जनपद के थाना-भदोही जनपद-भदोही में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो इस प्रकार से हैं:-

क्र०सं०	अपराध संख्या	धारा	थाना एवं जनपद
1.	140/2025	109(1), 3(5), 317(4)बी.एन.एस व 3/25 आर्म्स एक्ट	भदोही , जनपद भदोही।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है तथा गैंग बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित करता है और इसका समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत हुए हैं, उनमें आरोप पत्र प्रेषित हो चुका है। गैंग के लीडर अतीक अहमद के साथ सहअभियुक्तगण आलीम उर्फ नन्हका, हारिस, अर्शअली, मकसूद अहमद का उपरोक्त कार्य धारा-3(1)उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की परिधि में आता है और गैंग लीडर व सहअभियुक्तगण के साथ अभियुक्त अर्श अली के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार कराकर जिला मजिस्ट्रेट भदोही से दिनांक - 12.11.2025 को अनुमोदित कराकर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-19(4) निम्न प्रकार से है-

19(4)- *संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि-*

(क) *लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता; और*

(ख) *जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यदि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते*

समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

रामू उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल मिस्लेनियस बेल अप्लीकेशन नम्बर 27052/2008 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-19(4)(ख) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय न्यायालय को विश्वास करने का आधार होना चाहिए कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है, जैसा कि अभियुक्त द्वारा किया जाना कहा जा रहा है और जमानत पर छोड़े जाने की दशा में वह पुनः उक्त अपराध कारित नहीं करेगा।

प्रथम दृष्टया केश डायरी के अनुसार अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ गैंग के रूप में चोरी, छिनैती लूट व हत्या का प्रयास जैसे गंभीर अपराध कारित किये जाने का अभियोग दर्शित है जिसमें अभियुक्त की भूमिका गैंगलीडर रूप में पत्रावली के अवलोकन से दर्शायी गयी है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व कारतूस बरामद व चोरी की मोटरसाइकिल व मोबाइल बरामद किया जाना दर्शित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त की भूमिका अपराध में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ दर्शित होती है, जिसके आधार पर गैंगेस्टर की कार्यवाही की गई। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्तगण के साथ भूमिका बतायी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में एक अभियोग पंजीबद्ध होना दर्शित है एवं एक आपराधिक मुकदमें के आधार पर भी गैंगेस्टर की कार्यवाही की जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि आधारभूत मुकदमों में उसकी जमानत हो चुकी है किन्तु महत्वपूर्ण है कि आधारभूत मामले में जमानत हो जाने पर गैंगेस्टर के मामले में जमानत देने का आधार उत्पन्न नहीं होता है। इस मामले में अभियुक्त के साथ अन्य अभियुक्तगण के सम्बन्ध में लुटेरा गैंग नम्बर D-68/2025 जनपद स्तर पर पंजीकृत किया जाना दर्शित किया गया है। जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय साक्ष्य के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जाता है।

आपराधिक इतिहास में अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में दर्शित उक्त मुकदमे के अलावा 9 अन्य मुकदमे दर्शित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	अपराध संख्या	धारा	थाना एवं जनपद
1.	382/2022	392, 411 भा०दं०वि०	गोपीगंज, जनपद भदोही।
2.	02/2023	3(1)गैंगेस्टर एक्ट	दुर्गागंज जनपद भदोही।
3.	74/2022	392, 411 भा०दं०वि०	दुर्गागंज, जनपद भदोही।
4.	296/2022	392, 411 भा०दं०वि०	औराई, जनपद भदोही।
5.	252/2022	392, 411 भा०दं०वि०	ज्ञानपुर, जनपद भदोही।
6.	110/2025	304(2), 317(4)बी०एन०एस०	भदोही, जनपद भदोही।

7.	329/2022	392, 411 भा०दं०वि०	भदोही, जनपद भदोही।
8.	331/2022	392, 411 भा०दं०वि०	भदोही, जनपद भदोही।
9.	221/2025	261, 262 बी०एन०एस०	ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त के विरुद्ध दर्शित आपराधिक कृत्य तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या- 517 सन् 2025 धारा- 3(1)उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना- भदोही , जनपद -भदोही के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(लोकेश कुमार मिश्र)

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो-प्रथम/
गैंगेस्टर अधिनियम, भदोही ज्ञानपुर।

दिनांक- 18.03.2026